न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4267–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली – प्रकरण कमांक 7/2013–14 अपील

1– सुखदेव प्रसाद पुत्र रामसुन्दर
2– नारेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
दोनों ग्राम झारा तहसील सरई
जिला सिंगरोली मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– अंजनी कुमार पुत्र लक्षिमन प्रसाद
2– महिला सोनउआ पत्नि स्व.महावीर प्रसाद
3– अजीत कुमार पुत्र स्व. महावीर प्रसाद
4– महिला फूलमती पत्नि स्व. लक्षिमन प्रसाद
5– पवनकुमार पुत्र लक्षिमन प्रसाद
सभी ग्राम झारा तहसील सरई जिला सिंगरोली --- अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 24 –7–2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 7/13–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–11–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम झारा स्थित कुल किता 43 कुल रकबा 17–58 हैक्टर भूमि पर मृतक खातेदार रामसुन्दर के स्थान पर वॅशवृक्ष दर्शाते हुये

ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 01 पर आदेश दिनांक 30-10-2013 से नामानतरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभगीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 7/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 8-11-2013 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित करते हुये वादग्रस्त भूमि के विकय पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने नामान्तरण पॅजी पर हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 30-10-13 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को सुनवाई का मौका दिये बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है जो नियम एंव प्रकिया पर आधारित न होने से निरस्त किया जावे। अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 30-10-13 के विरूद्व यदि अपील में तात्कालिक रूप से स्थगन नहीं दिया जाता है अपील का अर्थ ही नहीं रह जाता , क्योंकि नामान्तरण कराने के वाद यदि नामांत्रिती ने भूमि विकय कर दी, अपील व्यर्थ है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी देवसर के अंतरिम आदेश दिनॉक 8-11-2013 को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की है ।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के कम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 का अवलोकन किया गया। विचार योग्य है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-13 से दिया गया स्थगन उचित है ? अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश का अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

> " वाद विचार उत्तरवादीगण की तलवी तक के लिये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थगित किये जाने एंव वादग्रस्त भूमि को विकय पर रोक लगाये जाने का स्थगन आदेश दिया जाता है "।

अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-13 पारित करके आगामी पेशी 11-12-13 लगाई है तथा इस पेशी पर उत्तरवादीगण ने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर वकालातनामा पेश कर दिया है अर्थात उत्तरवादीगण की

तलवी तक के लिये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के कियान्वयन पर दिया गया स्थगन विलोपित हुआ। जहॉ तक भूमि के विक्रय पर रोक लगाये जाने का एंव स्थगन आदेश दूसरे पक्ष को सुने बिना दिये जाने का प्रश्न है - म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आशय यही है कि स्थगन आदेश किसी भी मामले में पारित किये जाते समय उसकी तात्कालिता को विचार में लिया जाता है एंव न्याय-दान की अपेक्षा से स्थगन आदेश पारित किया जाता है। स्थगन आदेश दिया जाना न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन है। (पुरालाल विरूद्व घीसा 1998 रा0नि0 333 एंव चंद्रिका प्रसाद विरूद्व म0प्र0राज्य 1991 रा0नि0 236 से अनुसरित) - विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी देवसर व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-13 में लिये गये निर्णय की भी यही स्थिति है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 7/13-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 7/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-11-13 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर